आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 105 / 2021

श्रीमती सुनीता कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
18.05.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी, के वाद सं०–03 / 2021 में दिनांक 22.11.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2019 में ग्राम पंचायत राज–मदनपुर, वार्ड न०–06 में अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–83 पर सेविका पद पर बाहुल्य वर्ग पिछड़ा वर्ग चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र पर दिनांक 19.12.2019 को आमसभा हुई जिसमें वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) के आवेदन पर रामबामू यादव द्वारा आपत्ति किया गया कि वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) वार्ड सं०–05 की रहने वाली है। इस पर विचारोपरांत पाया गया कि वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) का नाम केन्द्र सं०–83 के मैपिंग पंजी में दर्ज है तथा वर्ष 2016 के पंचायत मतदाता सूची में वार्ड न०–06 में आवेदिका का नाम है। मुखिया द्वारा बहु प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है, इसमें भी वार्ड न०–06 ही है। इस प्रकार आपत्ति का निराकरण करते हुए मेधा सूची में प्रथम स्थान पर तथा प्राप्तांक सबसे अधिक होने के कारण वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

का चयन कर लिया गया। इसके बाद विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी) ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समक्ष शिकायत की। परंतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा समय पर वाद का निस्तारण नहीं करने के कारण विपक्षी सं०–04 ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष वाद सं०–03/2021 दाखिल किया। जिसमें आरोप लगाया की वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) वार्ड न०–06 की निवासी नहीं है बल्कि वार्ड सं०–05 में नाम दर्ज है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2014 में वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) की शादी मनोज कुमार के साथ हुआ तथा शादी होने के बाद उनके पति अपने पिता से अलग होकर अपना घर वार्ड न०–06 में निर्माण किया तथा वार्ड न०–06 में रहती चली आ रही है। ग्राम पंचायत राज मदनपुर में मुखिया ने भी वादी को बहु प्रमाण–पत्र निर्गत किया जिसमें वादी को वार्ड सं०–06 का बताया एवं उसके (वादी) आधार कार्ड में भी वार्ड सं०–06 दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) वार्ड सं०–06 की निवासी है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2014 में वादी के शादी के पश्चात् उनके (श्रीमती सुनिता कुमारी) ससुराल का घर छोटा होने के कारण वार्ड सं०–06 में अपना आवासीय घर बनाकर रहने लगी तब प्रथम बार वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) एवं उनके पति मनोज कुमार दोनो का नाम वर्ष 2016 में पंचायत मतदाता सूची में वार्ड सं०–05 एवं 06 दोनों जगह दर्ज हो गया। तत्पश्चात् वादी सुनिता कुमारी एवं उनके पति मनोज कुमार ने वार्ड सं०–05 के मतदाता सूची में नाम काटने का आवेदन भी दिनांक 30.07.2016 को ही प्रारूप 07 के अंतर्गत दिया। इसके बाद वर्ष 2021 के पंचायत मतदाता सूची में वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) का नाम केवल वार्ड सं०–06 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार जब वर्ष 2019 मे आंगनबाड़ी

WEB COPY NOT OFFICIAL

केन्द्र सं०–83 पर चयन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ उस समय मतदाता सूची में वादी एवं उनके पति का नाम केवल वार्ड सं–06 मे ही दर्ज था। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने सुनवाई के पश्चात् अपने आदेश दिनांक 22.11.2021 में अंचलाधिकारी के जिस प्रतिवेदन को आधार बनाया है वह गलत है। क्योंकि वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) किसी भी सरकारी भूमि पर आवास निर्माण कर नहीं रहती है तथा वे अपने भूमि पर आवासीय मकान बनाकर रहती है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वादी के सास एवं ससुर वार्ड सं०–05 मे निर्मित मकान में रहती है इसलिए उनके (श्रीमती सुनिता कुमारी) सास श्रीमती मनोरमा देवी के नाम से नल का कनेक्शन है तथा अन्य सरकारी लाभ उनके द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने वादी (श्रीमती सुनिता कुमारी) के बातों को ध्यान दिये बगैर आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है।

विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आँगनबाड़ी सेविका पद के लिए प्राप्त आवेदन के आधार पर मेधा सूची जारी किया गया जिसमें सर्वाधिक मेधा अंक इस वाद के वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) का था। और दूसरे क्रमांक पर इस वाद के विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी) है। परंतु विभागीय मार्गदर्शिका में निहित प्रावधान के अनुरूप वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) उपर्युक्त व सही अभ्यर्थी नहीं थी। फिर भी आम सभा के पदेन सदस्य–सह–सचिव (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) परसौनी के अधीन की महिला पर्यवेक्षिका ने विभागीय नियम की अनदेखी कर सेविका पद हेतु वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) का चयन कर लिया। जिसके बाद विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी) ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के न्यायालय में वाद दायर किया

WEB COPY NOT OFFICIAL

परंतु उन्होंने (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) वाद का निष्पादन नहीं किया। इसलिए विवश होकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी के यहां वाद सं०–03/2021 दायर की। वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) का चयन विभागीय मार्गदर्शिका–2019 के नियम 05 के प्रतिकूल था। आगे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) वार्ड सं०–06 की निवासी नहीं है अपितु वार्ड सं०–05 की निवासी है। साक्ष्य के रूप में उन्होंने वर्ष 2016, 2011 एवं 2016 का मतदाता सूची दाखिल किया है। आगे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्ष 2016 के मतदाता सूची में उसी पंचायत के वार्ड सं०–06 में भी वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) एवं उनके पति का नाम है। लेकिन गृह सं०–13 अंकित है जो उस पंचायत के किसी अन्य परिवार का है। आगे विपक्षी सं०–04 (श्रीमती राधा कुमारी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अंचलाधिकारी, परसौनी ने प्रश्नगत मामले की जाँच की एवं जाँच के दौरान पाया की वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) जिस घर को अपना आवासीय घर बताने का प्रयास की है वह सरकारी भूमि सैरात पोखर का भिण्डा है जिसका खाता सं०–604, खेसरा सं०–1282 एवं रकवा 98 डी० है। और वह गैर आवासीय पाया गया। इतना ही नहीं वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) के पति, सास एवं ससुर सभी हर घर नल–जल, राशन कार्ड एवं लोहिया स्वच्छ मिशन योजनान्तर्गत सभी लाभ प्राप्त करते है। जो वार्ड सं०–05 के नाम पर लेते है। मैपिंग पंजी में भी वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) के ससुर नागेन्द्र राय का नाम वार्ड सं०–05 में है एवं आंगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के क्रमांक 07 पर नाम द्रष्टव्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) वार्ड सं०–05 की निवासी है। एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

WEB COPY NOT OFFICIAL

ने छान–बीन करने के पश्चात् अपना आदेश पारित किया है जो सही है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार चयन के समय वादी का एवं उनके परिवार का नाम वर्ष 2016 के मतदाता सूची में वार्ड सं०–05 एवं 06 दोनों में था। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी से जाँच भौतिक सत्यापन कराकर जाँच के आधार पर अपना आदेश पारित किया है जो सही है।

उभय पक्षों को उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) के वार्ड सं०–06 के निवासी होने अथवा नहीं होने का है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 के अंतिम पंचायत मतदाता सूची में वादी/वादी के परिवार का नाम वार्ड सं०–05 एवं 06 दोनों में है तथा यह भी स्पष्ट है कि 2011 एवं 2006 के अंतिम मतदाता सूची में वार्ड सं०–05 में नाम दर्ज है। वर्ष 2016 के मतदाता सूची में वार्ड संख्सा–05 एवं 06 में नाम होने के कारण अंचलाधिकारी, परसौनी ने अपने पत्रांक 324 दिनांक 29.06.2020 से स्पष्ट किया की वादी (श्रीमती सुनीता कुमारी) के पति–श्री मनोज कुमार का आवासीय भूमि खाता सं०–604, खेसरा सं०–684, रकवा–98 डी० सरकारी भूमि सैरात पोखर का भिण्डा है। जिस पर गैर आवासीय भवन अवस्थित है। इसके अलावे वार्ड सं०–05 एवं 06 में वर्ष 2016 के पंचायत चुनाव के अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में वादी के ससुर, सास एवं भैसुर का नाम वार्ड सं०–05 में अवस्थित है। साथ ही **इनके (वादी) द्वारा वार्ड सं०–05 के अपने आवासीय मकान में हर घर नल–जल योजना का लाभ लिया जा रहा है तथा राशन का उठाव भी वार्ड सं0–05 से करती है।**

WEB COPY NOT OFFICIAL

उक्त से स्पष्ट है कि वादी वार्ड सं०–05 की निवासी है । साथ ही निम्न न्यायालय ने भी अपने आदेश में यह अंकित करते हुए आदेश पारित किया है कि *''यदि आवेदिका का घर भौतिक रूप से रिक्त वाले वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)/पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में है और वह वहाँ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया है''* तो **उक्त आदेश का लाभ अभ्यर्थी को प्राप्त होगा ना कि दो या अधिक अन्यत्र स्थानों के मतदाता सूची के मतदाता रहते हुए लाभ दिये जायेंगे,** जो सही है। अब जहॉ तक मैपिंग पंजी में वादी का नाम होने का प्रश्न है तो इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी ने गलत मैपिंग पंजी बनाने के कारण ही महिला पर्यवक्षिका (श्रीमती सोनाली प्रियदर्शिनी) का 04 (चार) माह का मानदेय कटौती करने एवं भविष्य में चयन कार्य करने पर रोक लगाये जाने का दंड दिया है। उपरोक्त स्थिति में निम्न न्यायालय का आदेश सही है तथा उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद **खारिज** किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL